

शीघ्र सुनवाई मौलिक अधिकार है

वर्षों तक ट्रायल लंबित रहने पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्दरेश एवं न्यायमूर्ति पी.बी. बराले ने लियाक़त अली बनाम स्टेट ऑफ जम्मू मामले में निर्णय दिया है कि यदि ट्रायल में लंबी देरी हो रही है तो आरोपी जमानत का हक़दार हो सकता है। पीठ ने कहा कि—

1. शीघ्र सुनवाई मौलिक अधिकार है : हर आरोपी का मौलिक अधिकार है कि उसके मामले का ट्रायल शीघ्र पूरा हो, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। लंबे समय तक जेल में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त शीघ्र न्याय के अधिकार का उल्लंघन है।

2. न्यायालय और अभियोजन की जिम्मेदारी : यदि ट्रायल अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है तो आरोपी जमानत का अधिकारी हो सकता है। एक मामले में न्यायालय ने कहा कि, ‘जिस प्रकार अभियोजन एजेंसी और ट्रायल कोर्ट ने



जी. के. छिब्र

कार्यवाही की है, उससे आरोपी के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।’ इसलिए, जब आरोपी जेल में हो, तब न्यायालय और अभियोजन दोनों की जिम्मेदारी है कि कार्यवाही में अनावश्यक देरी न हो।

3. देरी का बहाना नहीं चलेगा : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता कि

‘मुकदमे में तेजी लाई जाएगी।’ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 251(बी) के अनुसार सत्र न्यायालय के मामलों में पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। इसी कारण न्यायालय ने पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता भी जताई।

4. जेल से पेशी कराना पुलिस का दायित्व : पीठ ने कहा कि यदि आरोपी जेल में है तो उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करना पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा आरोपी को नहीं भुगतना चाहिए।

5. लंबी विचाराधीन कैद, सजा के समान : पीठ ने कहा कि यदि किसी विचाराधीन कैदी को लंबे समय तक हिरासत में रखा जाए और ट्रायल आगे न बढ़े, तो ऐसी हिरासत व्यावहारिक रूप से सजा का रूप ले लेती है। छह-सात वर्ष तक

जेल में रहने के बाद निर्णय आना शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 382, 201 एवं 34 के तहत दर्ज मामले में नौ वर्ष से जेल में था।

घटना के समय वह किशोर था। ट्रायल धीमी गति से चलने के कारण उसने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में लगातार देरी और लंबी विचाराधीन कैद हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है।

संक्षेप में: आरोपी के जेल में रहते हुए शीघ्र सुनवाई केवल उसकी मांग नहीं, बल्कि न्यायालय और अभियोजन की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यदि इसमें अनुचित देरी होती है तो जमानत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।

रंगमंच पर आत्मखोज की अनूठी प्रस्तुति, ‘द वलाउन हू वॉज़ मी’ ने जीता दर्शकों का दिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध विहान ड्रामा वर्क्स रिपर्टरी ने थिएट्रिक्स-31 प्रशिक्षण शृंखला के तहत विकसित मौलिक क्लाउन प्रस्तुति ‘द क्लाउन हू वॉज़ मी’ का मंचन आरंभ इंडिया, शिवाजी नगर में किया। सात दिवसीय प्रशिक्षण के बाद तैयार इस प्रस्तुति में कलाकारों ने पूर्वनिर्धारित कहानी के बजाय अपने अनुभवों, भावनाओं, डर और कमजोरियों को क्लाउन के रूप में मंच पर जीवंत किया। निर्देशन एवं प्रशिक्षण श्वेता केतकर ने दिया, जबकि सौरभ अनंत ने इसे संवेदनशील कलाकार तैयार करने की पहल बताया। इम्प्रोवाइजेशन, शारीरिक अभिनय और दर्शकों से प्रत्यक्ष संवाद से सजी प्रस्तुति ने दर्शकों को हँसी के साथ आत्ममंथन का अनुभव कराया। कार्यक्रम के अंत में दर्शकों ने कलाकारों की संवेदनशील प्रस्तुति और इस अभिनव रंगमंचीय पहल की सराहना की।

8 लाख बच्चों को मिली नई मुस्कान स्माइल ट्रेन इंडिया ने रचा कीर्तिमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: विश्व क्लेफ्ट जागरूकता दिवस के अवसर पर स्माइल ट्रेन इंडिया ने देशभर में 8 लाख से अधिक बच्चों की मुफ्त क्लेफ्ट (कटे होंठ और तालू) सर्जरी पूरी करने की उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश में संस्था के 8 साझेदार अस्पतालों के माध्यम से अब तक 41,500 से अधिक बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। संस्था अब क्लेफ्ट की शीघ्र पहचान, जागरूकता और समय पर उपचार पर विशेष जोर दे रही है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ममता कैरोल ने कहा कि जागरूकता की कमी इलाज में सबसे बड़ी बाधा है। स्माइल ट्रेन सर्जरी के साथ पोषण, स्पीच थेरेपी और अन्य आवश्यक उपचार भी उपलब्ध करा रही है।

सत्कर्म और प्रकृति संरक्षण का संदेश देती हैं देवी भागवत की कथाएं : ऋचा गोस्वामी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: तुलसी मानस प्रतिष्ठान मे आयोजित देवी भागवत कथा के पांचवें दिन विदुषी ऋच गोस्वामी ने सत्कर्म, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आधारित प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति को अनुकूल बनाए रखने के लिए मनुष्य का आचरण संयमित और सत्कर्माें से युक्त होना आवश्यक है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक अस्तुंतुलन के बीच देवी भागवत का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि राजा शत्रुघ्न के शासनकाल का वर्णन सतयुग जैसी व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां लोग सीमित आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन जीते थे।

‘द जॉयफुल एजुकेटर’ विषय पर प्रशिक्षण आज से

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में शिक्षकों के व्यक्तिव विकास और सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 से 24 जुलाई तक तीन

दिवसीय एफडीपी आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के रेखी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस द्वारा ‘द जॉयफुल एजुकेटर : एक्सपीरियेंशियल वेल-बीइंग एंड एप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी’ विषय पर यह

प्रशिक्षण नालंदा लाइब्रेरी के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगा। एफडीपी की समन्वयक एवं वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक मनीषा वर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में रेखी फाउंडेशन के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस डॉ. श्रीहरि कृष्णा और वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. रीतू शर्मा विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन देंगे।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रेम नारायण अहिरवार पुत्र श्री शिवलाल अहिरवार, आयु 54 वर्ष, निवासी-80, मजरा पुराना देवपुरा, ग्राम घाटाखेड़ी बापचालहरिया चाचोडा जिला गुना (म.प्र.) ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है तथा अब भविष्य मुझे इसी नाम से जाना जाए।

पुराना नाम-प्रेम सिंह अहिरवार पुत्र श्री शिवलाल अहिरवार **नया नाम-**प्रेम नारायण अहिरवार पुत्र श्री शिवलाल अहिरवार

आम सूचना

मेरे पक्षकार सज्जीवन मॉल फायनेंस लि. शाखा ई-5, अरौरा कोलानी, भोपाल, की ओर से सर्वसाधारण को सूचित हो कि लक्ष्मी सोनी पुलिस थ्री अंकित सोनी ने संपत्ति जो कि मकान नं-342 की भाग, बाब विहार, आनंद नगर, वार्ड नं-62, तह. हुजूर, जिला भोपाल, में स्थित है, को मेरे पक्षकार के पास बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया है। यह कि उक्त संपत्ति उन्होंने बन्धरेश्वर पाण्डे से क्रय करने का अनुबंध किया है। उक्त संपत्ति का नाम 834 वॉकिट व चतुर्लीमाई पुरब-रोड, पश्चिम-मकान ईवी सेन, उत्तर-मकान सुरेश बाबूम व दक्षिण-विक्रेता की संपत्ति है। यह कि उक्त सम्पत्ति से संबंधित पूर्व मूल विक्रय पत्र जो कि उप-पंजीयक कार्यालय भोपाल-111 में ई-पंजीयन क्रमांक-MP059712020A1152508, दि. 27/0८/2020 पर पंजीकृत है जिसके द्वारा पवन कुमार सेन एवं राधा सेन ने उक्त सम्पत्ति कमला सक्सेना से क्रय की थी, कही गूम हो गई है एवं समस्त प्रयासों के उपरान्त भी नहीं मिल रही है। तत्संबंध में संबंधित पुलिस थाना में दि. 18/०7/2६ को रिपोर्ट की गई है। यदि उक्त सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी इत्यादि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार, दाय, बंधक या कोई हित हो या उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का अनुबंध हो तो, वह व्यक्ति, इस सूचना प्रकाशन के ०7 दिवस के अन्तर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में मय दस्तावेजी प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान कर दूंगा तथा अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली कोई भी आपत्ति या विवाद न तो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी होगा एवं न ही मान्य होगा।

भवदीय-दीपक शर्मा (एक्जोक्टे) कार्या-ई-5/13-सी, अरौरा कोलानी, भोपाल मोबाइल-9993०01229

न्यायालय नायब तहसीलदार बेरागढ चीवली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकाशन क्रमांक— 02280203201500—App-29049164

//इश्टहार //

आवेदक हरीश हरपलानी आत्मज स्व. पुशालदास हरपलानी निवासी —ग्राम—कांकरिया कोलार रोड, भोपाल द्वारा स्थित खसरा नंबर— 64/1/1, 65/1/1, व अन्य, 84/1, 84/2 व अन्य क्षेत्रफल—2.05 एकड़ पर विक्रय पत्र/फौती नामांतरण /वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्टहार के जारी होने के दिनांक 2०/०7/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 20/०7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील-कोलार जिला-भोपाल

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्राप्ती आई.डी. नं. 1404000020, आवेदन क्रमांक-12506, आवेदन दि. 30/06/2026 क्रमांक 2302/राजस्व/भविष्य/26 भोपाल दिनांक 20/07/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की विनायक नगर गौदमरुठ योजना में EWS क्रमांक 20 श्रीमती प्रेमा जोशी पत्नी स्वर्गीय श्री बसंत बलराम जोशी के नाम पर आवंटित है आवटी का खर्गवांस दिनांक 12/12/2024 को हो गया है एवं आवटी के पति श्री बसंत बलराम जोशी का स्वर्गवास दिनांक 14/11/2009 को हो गया है आवटी द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित नोट्रास बसीयत दिनांक 16/10/2023 के आधार पर श्री दीपक जोशी आत्मज स्वर्गीय श्री बसंत बलराम जोशी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं नोटराइज वसीयत तथा वांछित पत्रों को प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का नामांतरण अपने नाम पर चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंतर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति /दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा /आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नयानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

(व्यवहार वाद वास्ते धारा-13-अ हिंदु विवाह अधिनियम हेतु वाद का नोटिस)

न्यायालय-श्रीमान महेन्द्र मांगोदिया अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय जुनारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
प्रदीप वरवडे.... **आवेदक विरुद्ध श्रीमती**
रिषिका वरवडे.... **अनावेदक**
श्रीमान-अनावेदक श्रीमती रिषिका वरवडे पति प्रदीप वरवडे पिता राबिन भारती निवासी मकान नंबर 240 सरकारी हास्पिटल के पास श्याम नगर बरखेड़ा पटनौ जिला भोपाल म.प्र.। ऐसा जो कि वादी के द्वारा मेरे सम्भ एव क्रमांक अंतर्गत धारा-13-अ हिन्दू विवाह अधिनियम हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिसका आर.सी.एस.एम.एम.क्रं.19/2026 है, पक्षकार प्रदीप वरवडे विरुद्ध श्रीमती रिषिका वरवडे जिसकी सुनवाई दिनांक 17.08.2026 के लिए नियत है। आप अनावेदक को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक को दिन के 11:00 बजे मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखे, अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में प्रकरण की सुनवाई आपकी गैरहजारी में की जायेगी। उक्त दिनांक को अवकाश होने की दशा में अगले दिन प्रकरण की सुनवाई की जावेगी। आज दिनांक 15.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा लगाकर जारी किया है। यह कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष आज दिनांक को अनावेदक की उपस्थिति हेतु नियत है।

महेन्द्र मांगोदिया जिला न्यायाधीश जुनारदेव के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्कल श्री भारत, पिता श्री एन. पलामाली (N. Palamalai), निवासी स्वाट्टर नं. 367, एन.-2, ई-सेक्टर, नेहरू नगर, बरखेड़ा, भेल, भोपाल (म.प्र.) द्वारा निम्नांकित अवल वगणित कय की जा रही है-**संयुक्त का विवरण:** एक आवासीय यूपुखंड क्रमांक-10, कुल क्षेत्रफल 30*50=1500 वर्गफीट (139.40 वर्गमीटर), खसरा क्रमांक 171/3 (कम्यूटीकृत खसरा क्रमांक 17/24/1/1) के अंश भाग पर स्थित, प्रेम नगर, ग्राम खजुरी कला, वार्ड क्रमांक 61/60, जिला भोपाल (म.प्र.)। उक्त संपत्ति की विक्रेता श्रीमती रोशनी पाटिल, पति श्री सुरेश पाटिल है, जिनसे मेरे मुवक्कल द्वारा उक्त संपत्ति का क्रय किया जा रहा है। अतः यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, संस्थाय संस्था अथवा अन्य किसी का उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का स्वामित्व, सह-स्वामित्व, बंधक, ऋणभार, विक्रय अनुबंध, दाय, वसीयत, उत्तराधिकार, कब्जा, न्यायालयीन वाद, निषेधाज्ञा, कुर्फी, वार्ज अथवा किसी भी प्रकार का धाैनिक एवं अधाैनिक अधिकार, दावा या आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 (सात) दिवस के भीतर अपने समस्त प्रमाण-पत्रों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित अधधि में कोई दावा/आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि उक्त संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार अथवा हित शेष नहीं है तथा मेरे मुवक्कल उक्त संपत्ति का क्रय अपने जोड़िसम एवं उत्तरदायित्व पर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी दावा/आपत्ति के लिए मेरे मुवक्कल अथवा अधोहस्ताक्षर किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

अजीत सिंह अधिवक्ता मुकेश ली चैम्बर शॉप नं. 155-156, नेहरू मार्केट, बरखेड़ा, भेल, भोपाल (म.प्र.) मो. 6261509809

सूडोकु नवताल- 7848					☆☆☆☆☆ सरल		
8	5			3		6	1
6	7		9		4		2
2					1		4
	3	9			7		
	6	2		8		4	7
			6			9	3
3			5				7
	4		1		6		8
	8	5		7			9

Jagritidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -7847 का हल

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

अष्टयोग- 7454

	1		4		2	
2	28	4	40		35	4
	2		6	4		
5	28	3	38	6	34	1
		6	3		1	
3	31		24	1	30	6
7			4		3	

प्रस्तुत खेल सुडोको व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है, खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं, गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या धारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगा, सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 7453 का हल

1	2	5	6	4	7	3
2	26	4	40	7	38	4
4	2	6	3	5	1	7
5	34	3	37	6	30	1
6	1	7	4	3	5	2
3	33	2	24	1	27	6
7	6	1	4	2	3	5

Jagritidaur.com, Bangalore

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य हैं.

शब्दजाल - 8474

ची अ मे रि क्रि पा तू हॉ की प बा न र ख्वी प के डे ने शि या इ स्के अ दा जा ला ट ग स द ह प ट वा ग टे पा ब दू फु प बे लि बॉ ली ना अ ब न जा ल ट स प ल बॉ इ इ मो ल प वा त बॉ यु बां ल जी ल ह व टे रि स ल ग र रि भा र त प नि रा ल वि ला क या वा तें व टे ज स शा जू दे र ग ल प न सिं ब्रा रु अ प श बां स ल लॉ रु स जू डे प क र

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के

अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए.किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणतः

	15	1	2	3	4	5
24						
7						
8						
9						

$1+2 = 3$
 $1+3 = 4$
 $7+9 = 16$
 $8+9 = 17$

काकुरो - 7520 का हल

		18	9			24	8		
	23	3	2	1		16	9	7	
					9			24	
23	9	6	8		19	2	7	1	9
5	4	1	21	23	9	4	8	20	8
33	8	9	6	7	3	12	23	9	8
									6
		17				11	9	8	
4	12	9	8					24	7
15	3	4	8	15	1	2	3	5	4
				21					
3	1	2	9	5	3	3	1	16	11
			2	17	9	7	10	7	2
	30	6	8	9	5	9	3	1	9
									2
		16	9	7			17	9	8

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द जाल में उन 10 खेलों के नाम ढूँहिए, जो विश्व भर में खेले जाते हैं. शब्द उपर से नीचे एवं तिरछे भी हैं.

फु	प	बे	लि	बॉ
ल	ट	स	प	ल
वा	त	बॉ	यु	बां
रि	स	ल	ल	ग
नि	य	ल	वि	ला
ज	स	शा	जू	दे
ब्रा	र	अ	प	श
जू	डो	प	क	र

शब्दजाल - 8473 का हल										
फ	क	म	हें	द्र	ग	अं	बा	ला	ल	उ
द	री	ल	प्रे	व	जी	स	द	ह	कें	ड
पा	सी	प	त्	दी	छ	हि	अ	मं	र	क
ई	स	ल	कें	दि	वा	स	सा	ल	ना	क
डि	आ	त	ग	फ	ज	ना	दू	र	ल	क
य	ह	द	गु	दि	री	उ	ती	ण	घ	क
रे	व	ल	इ	या	प	दा	जू	शि	व	रा
क	एं	ऊ	गां	द	ब	क	बा	ए	या	क
क	ड	ल	व	दं	जी	स	री	द	प	जी
क	गॉ	ल	प	म	हें	द्र	ग	दू	प	द
घ	मु	ना	न	ग	रे	स	व्य	व	प	म

शब्द पहेली - 8918

	1		2		3		4	
					6			
5					7			
					8		9	
10	11				12	13		
					14			
15		16		17		18		19
		20		21		22		
				23				24
25								
						26		

बाएं से दाएं

- केंड,गला-3
- पक्षियों का शौर-4
- शारीरिक ऊँचाई-2
- पाचन शक्ति-3
- मां को माता-2
- प्यार,प्रेम(अंग्रेजी-2)
- रचना करने वाला-5
- शोरबा,घरी-3
- ख़ाब सामग्री-3
- दोनों हाथों को पीटना-5</